

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“ए” ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष-0141-2740239, फ़ैक्स-0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/एपीओ/अलेसे-III/10097 दिनांक :- 03-12-2025

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम सं. 05 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राज. सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए कॉलम सं. 06 में अंकित कार्यालय से अधीनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पद के विरुद्ध वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क. सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)/रोल नं.	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	वेतन भुगतान अवधि का विवरण	कार्यालय जहां से आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5	6
1	श्री अभिषेक जैमन, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-744750)	अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर, जयपुर	दिनांक 13.11.2025 से 19.11.2025 तक	दिनांक 13.11.2025 से 19.11.2025 तक	अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर, जयपुर
2	वन्दना, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-745550)	राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् मुख्यालय जयपुर	दिनांक 13.11.2025 से 19.11.2025 तक	दिनांक 13.11.2025 से 19.11.2025 तक	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
3	धर्मेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-739032)	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय (शहर), प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर	दिनांक 13.11.2025 से 19.11.2025 तक	दिनांक 13.11.2025 से 19.11.2025 तक	उप निदेशक (ग्रामीण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर
4	सुनील शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-731726)	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आंधी जयपुर	दिनांक 13.11.2025 से 19.11.2025 तक	दिनांक 13.11.2025 से 19.11.2025 तक	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आंधी जयपुर

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूची में अंकित कार्मिकों द्वारा कॉलम सं. 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि में अपनी उपस्थिति निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग जयपुर में दी गयी है।

(संध्या शर्मा)
3/12/2025

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/एपीओ/अलेसे-III/10097 दिनांक :- 03-12-2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर वेतन भुगतान एवं सेवा पुस्तिका में इन्द्राज कराने की व्यवस्था करावे।
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. श्री/श्रीमती/सुश्री.....को पालनार्थ।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)